न्यायालय - मोतिश कुमार सिंह, सत्र न्यायाधीश, सिवान।

फौजदारी पुनरीक्षण वाद संख्या - **55/2026**

कविन्दर सिंह व अन्य

बनाम

बिहार सरकार

06-05-2026

अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। उभय पक्ष का बहस सुना गया है।

<u>आदेश</u>

प्रश्नगत फौजदारी पुनरीक्षण वाद पुनरीक्षणकर्ता कविन्द्र सिंह व अन्य 06 आवेदक की ओर से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें विद्वान अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सिवान द्वारा एम0 वाद संख्या 3255/2025 अर्न्तगत धारा 163 बी0एन0एस0एस0 को अपास्त करने का अनुरोध किया गया है। पुनरीक्षणकर्ता पक्ष का आगे कथन है कि इस वाद के विपक्षी संख्या 02 कामेश्वर सिंह स्थानीय पुलिस के पास धारा 163 बी0एन0एस0एस0 के तहत कार्यवाही आरंभ करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किए थे जिस क्रम में कार्यवाही आरंभ हुई एवं विद्वान अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सिवान ने पुनरीक्षणकर्ता को नोटिस जारी किया। पुनरीक्षणकर्ता ने विद्वान अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सिवान के न्यायालय में अपना कारण पृच्छा दाखिल किया साथ हीं विपक्षी संख्या 2 ने भी कारण पृच्छा दाखिल किया और विद्वान अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सिवान ने दिनांक 10.02.2026 को उक्त कार्यवाही को समाप्त कर दिया किन्तु आदेश पारित किया कि विवादित भूमि पर कोई कार्य नहीं होगा। अतः प्रश्नगत फौजदारी पुनरीक्षण वाद को स्वीकृत करने की कृपा की जाय।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि विवादित भूमि इनका खतियानी भूमि है जिसका आपस में विधिवत बॅटवारा नहीं हुआ है और पुनरीक्षणकर्ता जमीन पर चहारदीवारी दे रहे हैं व जमीन का बिक्री भी कर रहे हैं। जबकि उक्त भूमि में सभी पट्टीदारों का हिस्सा है। अतएव विद्वान अनुमण्डल दण्डाधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.02.2026 विधिसंगत नहीं है, अतः प्रश्नगत फौजदारी पुनरीक्षण वाद को खारिज करने की कृपा की जाए।

प्रश्नगत फौजदारी पुनरीक्षण वाद के साथ विद्वान अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सिवान के न्यायालय का वाद संख्या एम0वाद 3255/2025 के आदेश फलक की सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध है। उक्त अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि विचारण न्यायालय में आवेदक (यहॉ विपक्षी) ने बी0एन0एस0एस0 की धारा 163 के तहत एक आवेदन देकर अनुरोध किया कि विवादित भूमि पर विपक्षीगण (यहॉ पुनरीक्षणकर्ता पक्ष) बिना बॅटवारा के आधिपत्य कराना चाहते हैं, जिसे रोका जाए। उक्त आवेदन के आलोक में विद्वान अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सिवान ने दोनों पक्षों को नोटिस

न्यायालय - मोतिश कुमार सिंह, सत्र न्यायाधीश, सिवान।

फौजदारी पुनरीक्षण वाद संख्या - **55/2026**

कविन्दर सिंह व अन्य

बनाम

बिहार सरकार

06-05-2026

लगातार

जार किया और वहॉ दोनो पक्ष अपना – अपना कारण पृच्छा भी दाखिल किए। उक्त कारण पृच्छा पर सुनवाई कर विद्वान अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सिवान ने दिनांक 10.02.2026 को अपना आदेश पारित किया जिसका निर्णायक भाग इस प्रकार है –

> ''उपरोक्त तथ्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि विवादित भूमि से संबंधित वाद व्यवहार न्यायालय में चल रहा है। ऐसी स्थिति में इस न्यायालय से कोई आदेश पारित करना उचित प्रतीत नहीं होता है, अंचलाधिकारी सिवान सदर के प्रतिवेदनानुसार विवादित भूमि पर तनाव को देखते हुए उभय पक्षों को आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष सक्षम न्यायालय से आदेश पारित होने तक स्थल पर शांति बनाए रखें तथा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न हो। अतः वाद की कार्यावाही समाप्त की जाती है''

इस प्रकार विद्वान अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सिवान द्वारा जब अपने आदेश दिनांक 10.02.2026 में स्पष्ट कर दिया गया कि विवादित भूमि का मामला व्यवहार न्यायालय में लंबित है तो फिर इसके आगे किसी प्रकार का आदेश इनके द्वारा निर्गत करना विधिसंगत नहीं है। वैसे भी बी0एन0एस0एस0 की धारा 163 की कार्यवाही दो माह की समयावधि पश्चात् स्वतः समाप्त हो जाती है।

इस प्रकार उक्त मामले में विद्वान अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सिवान द्वारा दिनांक 10.02.2026 को पारित आदेश विधिसंगत नहीं पाकर इसे अपास्त किया जाता है, सम्प्रति प्रश्नगत् फौजदारी पुनरीक्षण वाद को स्वीकृत किया जाता है।

कार्यालय आदेश की एक प्रति एवं विचारण न्यायालय में भेजे तथा इस पुनरीक्षण वाद के अभिलेख को अभिलेखागार, सिवान में जमा करें।

लेखापित
ह०/-
सत्र न्यायाधीश, सिवान।
06-05-2026

Date of Judgement/order	06-05-2026
Date of Reserving Judgement/ Order	06-05-2026
Date of Uploading	30 -05-2026
Uploaded by	Ajit kumar